न्यायालय अंचल अधिकारी, हेहल, राँची ।

विषय :– विविध वाद
वाद सं० :– 02/2017–18
अंचल :– हेहल, जिला– राँची।

29-5-17 आवेदक सोना देवी पति– श्री भरत प्रसाद सिंह मौजा– हेहल, थाना पण्डरा ओ०पी० हेहल, राँची ने ग्राम हेहल, खाता सं०– 176/124, प्लॉट नं०– 19, रकबा– 40 डी० भूमि पर अवस्थित मकान में श्रीमति प्रभा देवी पति– श्री राजकिशोर सिंह एवं श्रीमति रेखा देवी पति– स्व० अमरेन्द्र प्र० सिंह ग्राम– हेंसल देवी मंडप रोड, थाना– ओ० पी० पण्डरा, द्वारा कब्जा किये जाने पर खाली करने हेतु आवेदन दिये हैं। रा०कर्म० से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। इन्होने प्रतिवेदित कियें हैं कि प्रश्नगत भूमि पंजी II के पृष्ठ सं० IV/39 में खाता नं० 176, प्लॉट नं०– 19, रकबा– 36.75 डी० श्रीमति सोना देवी पति– भरत प्रसाद सिंह के नाम से दर्ज है तथा लगान रसीद सं० 5252801 दिनांक 09.08.2012 वर्ष 2011–12 निर्गत दर्ज है।

स्थल जाँच में उपरोक्त भूमि पर दो मकान बना पाया गया। जिसमें राज किशोर सिंह एवं रेखा देवी रहती है जाँच के क्रम में उन्होने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। आर०एस० खतियान में खाता नं०– 176, प्लॉट नं०– 19, रकबा– 3.32 एकड़ गंगा प्रसाद बुधुआ पिता– राम साहब गनपत राय के नाम से दखलकार दर्ज है। शहरी भू–हदबंदी वाद सं०– 234/238/76 द्वारा प्लॉट सं०– 19, रकबा– 1313.16 वर्गफीट अधिगृहित किया गया है। दोनो पक्षो को सबुती कागजातों के साथ दिनांक 19.05.2017 को नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक 29.05.2017 आदेश निर्गत है।

दोनो पक्ष उक्त तिथि को कार्यालय में उपस्थित हुए प्रथम पक्ष द्वारा लगान रसीद शुद्धि पत्र, खतियान, निबंधन पट्टा, नगर निगम द्वारा निर्गत होल्डिंग टैक्स की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में सबुती कागजात प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गयी है।

अतः दोनो पक्षो को दिनांक 12.07.2017 को उपस्थित होने का आदेश दिया गया। अभिलेख दिनांक 12.07.2017 को रखें।

~~लेखापित/संशोधित~~

(हस्ताक्षर) 29/5/17
अंचल अधिकारी
हेहल, राँची।

~~अंचल अधिकारी~~
~~हेहल राँची।~~

12/7/17 अभिलेख उपस्थापित।
आवेदिका के पति श्री भरत प्रसाद सिंह उपस्थित हैं। एवं श्रीमति रेखा देवी –
द्वितीय पक्ष के श्रीमति प्रभा देवी एवं श्रीमति रेखा देवी
ने अपना पक्ष रखने हेतु श्री संजीव कुमार, विद्वान अधिवक्ता
को अधिकृत किया गया जिनके द्वारा lower [illegible]
कोर्ट प्रस्तुत किया गया एवं अगली तिथि में दोनों
को लिखित पक्ष प्रस्तुत करने की बात कही गई।
अतः अगली तिथि 28/06/2017 निर्धारित
[illegible] है। अभि. उक्त तिथि को रखें।

(हस्ताक्षर) 12/7/17

[illegible] 28/6/017

28/6/17	अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्ष उपस्थित नहीं। अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 5-7-17 को रखें। 28/6/17 अ० अ० हेडक्लर्क।
5-7-17	अभिलेख उपस्थापित। अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 12-7-17 को रखें। 05/07/17 अ० अ० हेडक्लर्क।
12-7-17	अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए 12/07/2017 को उपस्थित होकर साक्ष्य एवं इनसे सम्बन्धित कागजात को दिखाने के लिए कहा गया था। किन्तु प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनों उपस्थित हुए। आदेश हेतु रखें। 12/7/17 अ० अ० हेडक्लर्क

Scanned by CamScanner

कार:– विविध वाद स 02/17–18

संख्या तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख के साथ

आदेश

.-7-17

यह वाद अवेदिका सोना देवी पति श्री भरत प्रसाद सिंह, ग्राम–हेहल, थाना–पंडरा ओ0पी0, रॉची के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में प्रारम्भ किया गया। आवेदिका ने समर्पित अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि, ''मैं श्रीमती सोना देवी, खाता नं0–176/124 प्लॉट नं0–19, रकबा–40 डी0, ग्राम–हेहल रॉची की निवासी हूँ। मेरे जमीन पर श्रीमती प्रभा देवी, पति श्री राज किशोर सिंह एवं श्रीमती रेखा देवी पति स्व0 अरमेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम–हेसल, देवी मंडप रोड, थाना–ओ0पी0 पण्डरा पो0–हेहल, कब्जा किये हुए है। मेरा रसीद 2012–13 तक कटा हुआ है। रजिस्टर II में मेरा नाम अंकित है। मैने कोशिश की थी खाली करवाने की, पर वे लोग दबंग है और मारपीट पर उतर आते है। मुझे अपने जमीन पर कब्जा दिलाने की कृपा की जाय।''

उक्त मामले की जांच हल्का कर्मचारी से करायी गयी। हल्का कर्मचारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में कहा है कि, ''प्रश्नगत भूमि की मांग पंजी II के पेज नं0–IV/39 में खाता नं0–176 प्लॉट नं0–19 रकबा–36¾ डी0 भूमि श्रीमती सोना देवी पति भरत प्रसाद सिंह के नाम दर्ज है तथा लगान रसीद सं0–5252801 दिनांक 09.08.12 वर्ष 2011–13 निर्गत दर्ज है। स्थल जांच में उपरोक्त भूमि पर दो मकान बना पाया गया जिसमे राज किशोर सिंह एवं रेखा देवी रहती है। जांच के क्रम में राज किशोर सिंह ने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। आर0एस0 खतियान में खाता नं0–176 प्लॉट नं0–19 रकबा–3.32 ए0 भूमि गंगा प्रसाद बुधुवा पिता राम साहब गणपत राय के नाम दखलकार दर्ज है। शहरी भू–हदबन्दी वाद सं0–234 से 238 द्वारा प्लॉट नं0–19 रकबा–13173.16 वर्गमीटर अधिग्रहित किया गया है।''

अभिलेख में संलग्न दस्तावेजो/कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि, आवेदिका के प्रश्नगत भूमि पर बने मकान पर (1) श्रीमती प्रभा देवी, पति श्री राज किशोर सिंह एवं (2) श्रीमती रेखा देवी पति स्व0 अरमेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम–हेसल, देवी मंडप रोड, थाना–ओ0पी0 पण्डरा पो0–हेहल द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। वस्तुतः यह विवाद दो पक्षकारों के बीच रैयती भूमि पर बने मकान पर कब्जा दिलाने से संबंधित है। इस प्रकार के मामले का निष्पादन सक्षम न्यायालय अर्थात सिविल कोर्ट से होना है। अतः संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर विवाद का निपटारा करा सकते हैं।

अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

18/7/17

अंचल अधिकारी,
हेहल, रॉची।

लेखापित
18/7/17
अं0अ0

Scanned by CamScanner